बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं0सं0–01/स्था0 (क0अ0)–03/2015 – 356........................../ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभित्रंण (असैनिक) संवर्ग में भर्त्ती को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

भाग– ।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।** – (1) यह नियमावली "बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली 2015" कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।** – इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो :–

   (i) **"सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार–सरकार;

   (ii) **"विभाग"** से अभिप्रेत है नगर विकास एवं आवास विभाग;

   (iii) **"नियुक्ति प्राधिकार "** से अभिप्रेत है, नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंता प्रमुख (मध्य) अथवा विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अन्य कोई पदाधिकारी;

   (iv) **"आयोग"** से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अथवा उसके कार्यरत होने तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

   (v) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग ;

   (vi) **"संवर्ग के सदस्य"** से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति;

3. **संवर्ग का गठन।** – बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग के अधीन मूल कोटि का पद "कनीय अभियंता (असैनिक)" होगा। इस पद के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विनिश्चित वेतनमान एवं ग्रेड–पे देय होगा।

4. **स्वीकृत बल।** – इस संवर्ग का स्वीकृत बल समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

5. **आरक्षण।** – बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 1991 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधान तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विहित रोस्टर, संवर्ग में नियुक्ति करने तथा प्रोन्नति देने में लागू होंगे।

भाग – II

संवर्ग में नियुक्ति

6. **नियुक्ति** – इस संवर्ग में प्रथम नियुक्ति सीधी भर्त्ती के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर होगी। इस पद पर प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा।

7. नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को रिक्तियों की गणना कोटिवार की जाएगी एवं तदनुसार विभाग के माध्यम से आयोग को 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार अधियाचना भेजी जायेगी।

8. नियम–7 के तहत दी गई अधियाचना के आधार पर आयोग द्वारा समय–समय पर उस रीति से जैसा की वह उचित समझे, इस संवर्ग की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों को, सीधी भर्त्ती द्वारा, नियुक्ति से भरने के लिए विज्ञापित करेगा।

9. **अहर्ताएँ** – (1) इस संवर्ग में नियुक्त होने के लिए अर्हता निम्नवत् होगी :–

(i) सरकार के विशेष आदेश को छोड़कर, अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

(ii) अवर अभियंत्रण संवर्ग के लिए असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी।

(iii) चयन हेतु तकनीकी योग्यता/अर्हता :–

(क) AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता, जिसे State Technical Board से मान्यता प्राप्त हो, अथवा

(ख) Deemed University under UGC Act द्वारा निर्गत Non-Distance Mode Diploma in Civil Engineering अथवा समकक्ष योग्यता

(2) अधियाचना वर्ष के 1ली अगस्त को अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु राज्य राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए किन्तु संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय अभियंताओं (असैनिक) हेतु अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम 10 वर्षों की छूट अनुमान्य होगी।

10. **चयन की प्रक्रिया** – (1) इस संवर्ग के मूल कोटि कनीय अभियंता (असैनिक) के पदों पर चयन डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक तथा साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के आधार पर आयोग द्वारा किया जायेगा। बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार /स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्त्ती की अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप नियम–(2) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अभिमानता दी जाएगी।

(2) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न आधार पर तैयार की जाएगी –

			पूर्णांक
(क)	डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर	–	60 अंक
(ख)	संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा)	–	25 अंक
(ग)	साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा)	–	15 अंक
	कुल	–	100 अंक

(3) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चिय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट–ऑफ डेट की अवधि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।

11. साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के अनुपात में, आयोग द्वारा विनिश्चित की जायेगी। आयोग द्वारा नियम–10 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेघा सूची तैयार की जाएगी एवं उसे सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसित की जायेगी। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा।

भाग – III

प्रोन्नति एवं वरीयता

12. प्रोन्नति। – कनीय अभियंता (असैनिक) के पद से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति बिहार अभियंत्रण सेवा नियमावली में विनिश्चित प्रावधानों के अधीन होगी।

13. वरीयता का अवधारण। – विभाग, आयोग द्वारा अनुशंसित मेघा क्रमांक के अनुसार, कनीय अभियंताओं (असैनिक) की वरीयता का अवधारण करेगा। पूर्व से नियुक्त एंव कार्यरत कनीय अभियंताओं की वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।

भाग – IV

प्रकीर्ण

14. **अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील। – (1)** बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील के मामले में, बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग के सदस्यों पर लागू होंगे।

15. **कठिनाईयों का निराकरण।** – इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हो।

16. अवशिष्ट मामले। – (1) इस संवर्ग के सभी अवशिष्ट मामले नगर विकास एवं आवास विभाग के प्राधिकार क्षेत्र में होंगे।

(2) इस नियमावली में से किसी भी नियम के निवर्चन कोई संदेह की दशा में उसे विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, और जिस पर विभाग का विनिश्चय, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, अंतिम होगा।

17. **निरसन एवं व्यावृति।** – (1) इस संवर्ग में वर्त्तमान नियमों/विनियमों, निदेशों एवं परिपत्रों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त वर्त्तमान नियमों/विनियमों, निदेशों एवं परिपत्रों के अधीन किया गया कुछ भी अथवा की गयी कार्रवाई इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा की गयी मानी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जब वैसा कुछ भी किया गया अथवा वैसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

14.1.16

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

सं0–01 / स्था (क0अ0)–03 / 15 ....356.......... बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली–215 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अमृत लाल मीणा) 14.1.16
सरकार के प्रधान सचिव।

Government of Bihar

Urban Development and Housing Department

Notification

No.- 1/Stha. (Ka. A.)-03/ 15/ U.D. & H.D. Dated –356 In exercise of the powers conferred Under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regularising of appointment in Junior Engineer (Civil) Cadre in Urban Development & Housing Department :-

Part - I

1. Short title, extent and commencement.- These Rules may be called "Bihar Urban Development and Housing Department Junior Engineer (Civil) Cadre Appointment Rules", 2015.
   (2) Its Shall extent to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force at once.
2. Definitions.- In these Rules unless anything contrary to the subject or context :-
   (i) **'Government'** means the Government of Bihar.
   (ii) **'Department'** means Urban Development and Housing Department.
   (iii) **'Appointing Authority'** means Engineer-in-Chief (Middle) of Urban Development and Housing Department or any other Officer authorised for this purpose by the Department.

(iv) **'Commission'** means The Bihar State Technical Staff Selection Commission; or The Bihar Staff Selection Commmission, till its functioning.

(v) **'Cadre'** means Bihar Urban Development and Housing Department Junior Engineer (Civil) Cadre;

(vi) **'Member of the Cadre'** means a person appointed regularily and working under the provisions of these Rules;

3. Constitution of the cadre.- Post of basic category will be "Junior Engineer (Civil)" under Bihar Urban Development and Housing Department Junior Engineer (Civil) Cadre. For this post, pay scale and grade pay will be admissible, from time to time, as determined by the State Government.

4. Sanctioned strength. - Sanctioned strength of this cadre will be determined by the Department, from time to time.

5. Reservation :- Reservation in vacancies of Bihar Posts and Services (Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes) Act, 1991 (as amended from time to time) and Rules made there under and prescribed roaster determined by the Government, from time to time, will apply in the appointments and promotions in the cadre.

Part - II

Appointment in the Cadre

6. Appointment - First appointment in this cadre will be made by direct recruitment to the post of Junior Engineer (Civil) No entry on the basis of Promotion will be to this post.

7. Calculation of vacancies will be made category-wise by the appointing Authority on the 1st April of each year and accordingly reservation category-wise requisition will be sent to the Commission by the 30th April through the Department.

8. The commission will advertise reservation category-wise vacancies of this cadre to fullfil appointments by direct recruitment, from time to time in such manner which it deem proper, on the basis of requisition given under rule 7.

9. Qualifications - (1) Qualifications for be appointed in this cadre will be as follows :-

(i) Except special order of the Government, it is essential that applicant should be an Indian citizen.

(ii) Diploma in Civil Engineering or equivalent qualification holder for Junior Engineer Cadre.

(iii) Technical Qualification eligiblity for selection. :-

(A) Diploma in Civil Engineering or equivalent qualification issued by an Institute recognised by AICTE wchich may be recognised by the State Technical Board, or

(B) Non-Distance Mode Diploma in Civil Engineering issued by Deemed University Under UGC Act or equivalent qualification.

(2) Minimum age of the applicant should be 18 years on 1st August of the requisition year. Maximum age should be within the age limit determined by the State Government (the General Administration Department), from time to time, for reservation category-wise but in the age-limit for the Junior Engineer (Civil) employed previously on contract basis may be relaxation of maximum of 10 years will be given.

10. **Process of Selection.- (1)** Selection to the posts of basic category of Junior Engineer (Civil) of this cadre will be made by the Commission on the basis of per centage of marks obtained in Diploma or equivalent qualification and interview (viva-voce test). Applicants having working experience in the Government of Bihar or any Undertaking/corporation/Body/authority/Self-governing body under the Government of Bihar of working as Junior Engineer (Civil) on contract basis and who fulfils the qualifications of recruitment in this cadre, will be given weightage in selection by giving additional marks under sub rule (2) of these Rules.

(2) Merit list of the applicants will be prepared on the following basis :-

			Maximum marks
(A)	on the basis of per centage of marks obtained in Diploma or equivalent qualification	-	60 marks
(B)	Maximum weightage for working on the basis of contract (5 marks for every working year which will have maximum limit of 25 marks. For any part of the year working days will be multiplied by 5 and thereafter product will be divided by 365 tc obtain per centage of marks which will be added proportionately).	-	25 marks
(C)	Interview (viva-voce test)	-	15 marks
	Total	-	100 marks

(3) Determination of working days on basis of contract will be made on the basis of payment of Salary certificate issud by the concerned Controlling Officer. Calculation of

working experience will be made to the period of cut off date mentioned in the published advertisement of the Commission.

11. Ratio for applicants against vacancies to be invited for interview will be determined by the Commission. Last merit-list of the selected candidates will be prepared by the Commission on the basis of Rule 10 and the same will be recommended to the Government for appointment. Panel of recommended candidates by the Commission will be valid for one year.

Part - III

Promotion and Seniority

12. Promotion. - Promotion from the posts of Junior Engineer (Civil) to the higher posts will be made under the provisions prescribed in the Bihar Engineering Service Rules.

13. Determination of Seniority.- The Department will determine seniority of the Junior Engineers (Civil) according to recommended merit list by the Commission. Seniority of Junior Engineers already appointed and working will remain intact.

Part - IV

Miscellaneous

14. Discipline, Control and Appeal. - Provisions of Bihar government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) will apply in the matter of Discipline, Control and Appeal against members of Bihar Urban Development and Housing Department Junior Engineer (Civil) Cadre.

15. Removal of difficulties. - If any difficulty arises in making any provisions of these Rules effective the State Government, after consultation with the Law Department, will make such provisions by order publishing in the Official Gazette. which will not be irrelevant to the provisions to these Rules and which may be necessary or expedient for removal of difficulties .

16. Residuary matters .- (1) All residuary matters concerned with this cadre will be within the area of Juridiction of the Urban Development and Housing Department.

(2) If any doubt arises in interpretation of any rule of these Rules the same will be referred to the Department and determination of the Department on which, after consultation with the Law Department, will be final.

17. **Repeal and Savings .-** (1) The existing rules, regulations directions and circulars in this context are hereby repealed.

(2) NotwithStanding such repeal, anything done or any action taken under the said existing rules/regulations directions and circulars will be deemed to be taken under these Rules as if these Rules was come into force on that date when such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,

14.1.16

(Amrit Lal Meena)
Principal Secretary,
Urban Development and Housing Department

ज्ञापांक–01/स्था0 (क0अ0)–03/2015 356 पटना, दिनांक– 15/1/16

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–वित्त विभाग, ई0 गजट कोषांग, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित कोषागर/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14.1.16

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग